

## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/91/2020

तरुणकुमार शर्मा पुत्र वेदप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवसी दर्जी पाड़ा कस्बा बयाना जिला भरतपुर ।

### बनाम

अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ।

### अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### आदेश

दिनांक 11.12.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त तरुणकुमार शर्मा पुत्र वेदप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवसी दर्जी पाड़ा कस्बा बयाना जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2020 अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/771 दिनांक 02.12.2020 के अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/11331 दिनांक 10.12.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचना अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलान्त ने अति० जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 11331 दिनांक 10.12.2020 का अवलोकन किया गया। अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ने उक्त पत्र से अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने के कारण देय नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है। अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब की तार्द में पत्र क्रमांक 9873 दिनांक 14.10.2020, से प्रार्थी को सूचित किया है, की प्रति भी भिजवाई है। इस प्रकार सूचना देय नहीं होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

OK



अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को ( अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अति० जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।



(नथमल डिडेल)  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर